

फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम नवलकिशोर

नाम न्यायालय

केस संख्या 22/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा/विस्तृत रूप से	या संख
	02/4/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलवाही उपस्थित प्रविषाही संख्या 11 व उनके वकील बाल-कट आवाण। दिनांक 22/4/22। अति संख्या 11 व उनके वकील उपस्थित। अति संख्या 11 के विरुद्ध स्तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्तु साक्ष्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 4/4/22 को पेश की</p> <p style="text-align: right;">उपस्थित अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	
		<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में जा रहे हैं। अतः पत्रावली पूर्णतया पनांक 17/4/25 को पेश है।</p>	
	17/4/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में जा रहे हैं। अतः पत्रावली पूर्णतया पनांक 24/5/25 को पेश है।</p>	
	28/5/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में जा रहे हैं। अतः पत्रावली पूर्णतया पनांक 12/6/25 को पेश है।</p>	
	12/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकीलवाही एक उपस्थित अति संख्या 12 व 11 उपस्थित वकीलवाही व प्रविषाही संख्या 1, 2 व 11 की वदतानी हुई। वकीलवाही वदतानी संख्या 11 वदतानी पत्रावली दर्ज नम्बर 11 वदतानी वदतानी इत्यादि साक्ष्य उपस्थित है।</p>	

## अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी )

उप अदालत उप खण्ड अधिकारी, साँगानेर (द्वितीय) मुकाम साँगानेर जयपुर व इजलास  
निवासीन अधिकारी का नाम:-श्री हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.  
प्रार्थना पत्र : 25/2022  
निर्णय दिनांक : 12.06.2025

### उनवान

1. नाथू लाल स्वामी पुत्र स्व. श्री रामनाथ स्वामी, आयु 68 वर्ष,
2. सत्यनारायण स्वामी पुत्र स्व. श्री रामनाथ स्वामी, आयु 58 वर्ष,
3. राजू उर्फ राजेश स्वामी पुत्र स्व. श्री हनुमान, आयु 38 वर्ष,
4. समस्त जातियान ब्राम्हण (स्वामी), निवासीयान-ग्राम श्री राम की नांगल, त0 सांगानेर,  
जिला जयपुर।

वादीगण

### बनाम

1. नवल किशोर स्वामी पुत्र स्व. श्री गोर्वधन लाल,
2. हरिशंकर स्वामी पुत्र स्व. श्री गोर्वधन लाल,
3. कजोड़ स्वामी पुत्र स्व.श्री रामकरण,
4. भानू स्वामी पुत्र स्व.श्री दुर्गालाल,
5. मोहन लाल स्वामी पुत्र स्व.श्री दुर्गालाल,
6. रवि समी पुत्र स्व.श्री दुर्गालाल,
7. देवी सहाय स्वामी पुत्र स्व.श्री लालाराम,
8. रामजीलाल स्वामी पुत्र स्व.श्री लालाराम,  
निवासीगण - श्री राम की नांगल, त0 सांगानेर, जिला जयपुर।
9. नाथी देवी पुत्री स्व.श्री रामेस्वर स्वामी, निवासी-ग्राम जोडिदा, तह. फागी, जिला जयपुर।
10. तहसीलदार सांगानेर, तहसील कार्यालय सांगानेर, जयपुर।
11. चौखी ढाणी प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधि विकास जैन पुत्र श्री राजेन्द्र जैन,  
निवासी-प्लॉट नं. जी-145, एमआर,जयपुर ग्रीन सेज रोड, ग्राम झाई, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम  
1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी, साँगानेर  
द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरु मिनजानिब मुदायलह पेश  
होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है. कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण  
को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात वाके श्रीराम की नांगल भू  
अभि. नि. क्षेत्र वाटिका, तहसील-सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान  
श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर-407 रकबा 0.1900  
हैक्टर, खसरा नंबर-410 रकबा 0.1900 हैक्टर, खसरा नंबर-448 रकबा 0.3300 हैक्टर,

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)



खसरा नंबर-449 रकबा 0.2200 हैक्टर, खसरा नंबर-450 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नंबर-451 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर-452 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नंबर-453 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा नंबर-455 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा नंबर-456 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नंबर-457 रकबा 0.2400 हैक्टर, खसरा नंबर-458 रकबा 0.0200 हैक्टर, खसरा नंबर-459 रकबा 0.2100 हैक्टर, खसरा नंबर-460 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नंबर-461 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नंबर-462 रकबा 0.1600 हैक्टर, खसरा नंबर-463 रकबा 0.4100 हैक्टर स्थित है एवं खसरा नंबर-408 रकबा 0.1700 हैक्टर और खसरा नंबर-409 रकबा 0.1800 हैक्टर के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नहीं करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नहीं करें; उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग-उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की अववाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा वादीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने में कोई अनुचित हस्तक्षेप ना तो वह स्वयं करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था, कम्पनी से करवावे। उक्त आराजीयात् में मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.06.2025 को जारी की

गई।

मुहर

दस्तखत  
उपखण्ड अधिकारी  
ओहवापुर द्वितीय (सौगाणेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सौगाणेर)

